राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 145वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसी भी जगह पर 50 अथवा इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होने के कारण मार्च, 2020 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 145वीं बैठक के कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को प्रसारित (Agenda by Circulation) कर बैठक का आयोजन करने का सर्वसम्मति से स्टियरिंग समिति में निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें । राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 145वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान के पत्रांक ज.अं./एसएलबीसी/2019-20/267 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से समस्त हितग्राहियों को कार्यसूची बिन्दु एवं पीपीटी प्रजेंटेशन प्रसारित किया गया है एवं 29.06.2020 तक समस्त हितग्राहियों से कार्यसूची बिन्दु पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 144वीं बैठक के कार्यबिन्दु एवं हितग्राहियों से प्राप्त टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **144**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने हेतु अनुरोध है.
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : 144वीं बैठक कार्यवृत्त एसएलबीसी के पत्र दिनांक 24.04.2020 से एसएलबीसी के समस्त हितधारकों को प्रेषित कर दिए गए है एवं कोई भी संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । अतः 144वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2020 को वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम बैठक आयोजित की गई जिसमे राज्य के समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा सहभागिता की गई एवं अग्रणी जिला कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं यथा कार्यरत स्टाफ एवं वाहन सुविधा इत्यादि की जानकारी ली गयी जिसके उपरांत अग्रणी जिला अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त डीसीसी संयोजक बैंकों के नियंत्रकों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया कि अग्रणी जिला कार्यालयों में भारतीय रिज़र्व बैंक के अग्रणी बैंक योजना के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2.4 के अनुसार निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : डीसीसी संयोजक बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	18.05.2020
2. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	18.05.2020
3. एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	29.05.2020
4. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	29.05.2020
5. कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	05.06.2020
6. डिजिटल भुगतान	11.06.2020
7. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	17.06.2020
8. बकाया ऋण वसूली	Awaited

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 145वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 9वीं बैठक दिनांक 24.06.2020 को आयोजित की गयी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी:

- एसएलबीसी द्वारा एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक एवं उप समिति बैठकों का विस्तृत एजेंडा बैठक से कुछ समय पूर्व समस्त हितग्राहियों को प्रेषित किया जावे जिससे प्रतिभागियों द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ सहभागिता कर सार्थक चर्चा की जा सके।
- समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि बीएलबीसी की बैठकों में प्रत्येक शाखा प्रबन्धक द्वारा सहभागिता की जावे।
- एसएलबीसी द्वारा एसएलबीसी की बैठकों के कार्यवृत्त 10 दिवस के भीतर समस्त हितग्राहियों को प्रेषित कर दिये जावें। आज की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 09.07.2020 तक प्रेषित किए जावे।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : एसएलबीसी द्वारा दिसंबर 2019 तिमाही तक त्रैमास प्रारम्भ होने पर बैठक के कलेंडर समस्त हितधारकों को प्रेषित किया जाता रहा है एवं बैठक सूचना के साथ कार्यवाही बिन्दु भी प्रेषित किए जाते है । इस संबंध में मार्च व जून 2020 के तिमाही के कुछ समय के दौरान COVID-19 महामारी के चलते सीमित बैंकिंग सुविधा एवं सीमित स्टाफ के साथ कार्य करने के कारण कार्यवृत लंबित हुए है ।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

31 मार्च, 2020 तक राज्य में कुल 8,153 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मार्च तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 243 शाखाएं खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.20% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,34,010 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 7.74% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,60,214 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 9.82%, 13.63%, 4.72% एवं 37.00% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 8.10%, 9.48%, एवं 22.59% रही है तथा सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि -17.38% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 85.21% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.10% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,28,735 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 3.02% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,09,985 करोड़ रहा है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : राज्य में कृषि क्षेत्र को प्रदत्त किए जाने वाले ऋण की वर्ष दर वर्ष वृद्धि 3.02% है जो कि पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ही कम है राजस्थान राज्य में मुख्य

गतिविधि कृषि क्षेत्र है अतः कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है ।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 4.16% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 80,421 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 16.15% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 79,673 करोड़ रहा है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : भारतीय रिजर्व बैंक के कुल ऋण से कमजोर वर्ग के ऋण का आनुपातिक बेंचमार्क 10% है राज्य में राज्य का उक्त आनुपातिक उपलब्धि 22.12% है लेकिन सहकारी बैंक का बेंचमार्क 9.03% है जिसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 मार्च, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.75% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 16,630 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 63.50%, कृषि क्षेत्र को 30.53%, कमजोर वर्ग को 22.12%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.99% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.59% रहा है.

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 31 मार्च, 2020 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषजनक पायी गयी.

एसएलबीसी की टिप्पणी : राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राही बधाई के पात्र है।

एजेण्डा क्रमांक - 4

Unbanked Rural Centres (URC)

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 231 बैंकरहित गांवों की सूची दिनांक 28.02.2020 को प्रेषित की है जिसमें से 155 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना शेष है। उक्त 231 गांव विभिन्न बैंकों को आवंटित किए गए जिनमें से निम्न बैंकों द्वारा समस्त आवंटित गांवों को कवर किया गया:-

- इलाहाबाद बैंक ने 2 गांवों को कवर किया है और आईसीआईसीआई बैंक ने 1 गांव को कवर किया है।

- राज्य सहकारी बैंक को आवंटित 2 गांव जेडीडी ऐप पर शामिल हैं।
- आरएमजीबी ने 5 गांवों को कवर किया है और यूको बैंक ने 8 गांवों को कवर किया है।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1 गांव को कवर किया है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 08.06.2020 को शेष रहे बैंकरहित 138 गांवों (5 कि.मी. परिधि) की सूची प्रेषित की है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 231 बैंकरहित गांवों की सूची दिनांक 28.02.2020 को प्रेषित की है जिसमें से 158 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना शेष है। उन्होने समस्त बैंकों को निर्देशित किया है कि उक्त गांवों को जल्द से जल्द कवर कर जन धन दर्शन एप पर अपलोड करें। जिन गांवों की जनसंख्या नगण्य है अथवा बीएसएफ़ द्वारा आवागमन बाधित है उनकी सूची एसएलबीसी द्वारा वित्तीय सेवाएँ विभाग को प्रेषित की जावे।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित बैंकरहित 138 गांवों में से दिनांक 30.06.2020 तक 14 गांवों को कवर किया जा चुका है एवं 124 गांवों को कवर किया जाना शेष है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) द्वारा 45 गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान उनके ग्रामीण डाक सेवक एवं पोस्टमास्टर द्वारा प्रदान की जा रही है जो कि 5 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। उक्त 45 गांवों में से 2 गांवों में उपलब्ध बैंकिंग सुविधा की सूची जनधन दर्शक एप पर अद्यतित कर दी गयी है। शेष 43 गांवों को वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार IPPB द्वारा कवर निम्न स्थितियों में माना जावेगा-

- डीएलसीसी बैठक में उक्त गांवों के संबंध में चर्चा कर सदन को अवगत करवाया जावे कि उक्त गांवों में आईपीपीबी द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
- एसएलबीसी की बैठक में उक्त बिन्दु पर चर्चा कर सदन द्वारा उक्त गांवों का IPPB से कवर होना अनुमोदित किया जावे।

उक्त गांवों की जिलेवार स्थिति निम्नानुसार है:-

जिला श्रीगंगानगर- 14 गाँव- अग्रणी जिला प्रबंधक, श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक LBO/2019-20/18 दिनांक 02.06.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके जिले के 14 गांवों में आईपीपीबी के शाखा पोस्ट मास्टर एवं ग्रामीण डाक सेवक बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परंतु वह 5 किमी की परिधि में स्थित नहीं होने के कारण जन धन दर्शक एप पर अद्यतित नहीं हैं. उन्होनें उक्त गांवों में कराये गए सर्वे कि रिपोर्ट को जिला कलेक्टर से प्रमाणित कर हमारे कार्यालय को प्रेषित किया जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया

है कि उक्त 14 बैंकरहित गांवों में आईपीपीबी द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कारवाई जा रही है अतः उक्त 14 गांवों को कवर माना जाता है.

जिला हनुमानगढ़- 1 गाँव- अग्रणी जिला प्रबंधक, हनुमानगढ़ द्वारा सूचित किया गया कि 1 गांव में आईपीपीबी के शाखा पोस्ट मास्टर एवं ग्रामीण डाक सेवक बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परंतु वह 5 किमी की परिधि में स्थित नहीं होने के कारण जन धन दर्शक एप पर अद्यतित नहीं हैं. उन्होनें उक्त गांव में उपलब्ध बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने पर DLRC / DCC बैठक में समीक्षा की गई एवं DLRC / DCC बैठक के हितधारको द्वारा सहमति प्रदान की गयी साथ ही इसे DLRC / DCC बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है. अतः उक्त 1 गांव को कवर माना जाता है.

जिला बीकानेर- 6 गाँव- अग्रणी जिला प्रबंधक, बीकानेर द्वारा सूचित किया गया कि 6 गांवों में आईपीपीबी के शाखा पोस्ट मास्टर एवं ग्रामीण डाक सेवक बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परंतु वह 5 किमी की परिधि में स्थित नहीं होने के कारण जन धन दर्शक एप पर अद्यतित नहीं हैं. उक्त गांव में उपलब्ध बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने पर DLRC / DCC बैठक में समीक्षा की गई एवं DLRC / DCC बैठक में उपस्थित हितधारको द्वारा सहमति प्रदान की गयी साथ ही इसे DLRC / DCC बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है. अतः उक्त 6 गांवों को कवर माना जाता है।

जिला जोधपुर- 11 गाँव- अग्रणी जिला प्रबंधक, जोधपुर द्वारा सूचित किया गया कि 11 गांवों में आईपीपीबी के शाखा पोस्ट मास्टर एवं ग्रामीण डाक सेवक बैंकिग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं परंतु वह 5 किमी की परिधि में स्थित नहीं होने के कारण जन धन दर्शक एप पर अद्यतित नहीं हैं उन्होनें उक्त गांव में उपलब्ध बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने पर DLRC / DCC बैठक में समीक्षा की गई एवं DLRC / DCC बैठक के हितधारको द्वारा सहमति प्रदान की गयी साथ ही इसे DLRC / DCC बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है. अतः उक्त 11 गांवों को कवर माना जाता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 144वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनके बैंक को आवंटित 82 बैंक रहित गांवो (5 किमी परिधि) में से 03 गांवो में व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं शेष रहे 79 गांवो की स्थिति निम्नानुसार है :

1. बीकानेर जिला - 1 गाँव भारत की सीमा (Border Area) के पास स्थित हैं जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर बी.एस.एफ (BSF) ने आमजन का प्रवेश वर्जित किया हुआ हैं एवं 1 गाँव में बैंक मित्र (1 BC) लगाया जाना प्रतीक्षित है ।

2. जैसलमेर जिला - 69 गांव (64+5) भारत की सीमा (Border Area) के पास स्थित हैं जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर बी.एस.एफ (BSF) ने आमजन का प्रवेश वर्जित किया हुआ हैं तथा 7 गाँव जिनमे आबादी बहुत कम है एवं बैंक मित्र (BC) नियुक्त करने में असमर्थता जाहीर की है । 1 गाँव में बैंक मित्र (1 BC) लगाया जाना प्रतीक्षित है ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : जिन गांवों की जनसंख्या नगण्य है अथवा बीएसएफ़ द्वारा आवागमन बाधित है उन गांवों में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार संबन्धित जिला कलेक्टर से इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से छूट प्राप्त की जा सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2020 तक बैंकरहित गांवो (5 कि.मी. परिधि) में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है एवं उन्होने शेष रहे गांवों को जल्द से जल्द कवर करने हेतु बैंकों द्वारा प्रयासों में तेजी लाए जाने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>अटल पेंशन योजना</u>

अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :

	Progress as on 31.03.2020						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 31.03.2020	% Ach.
Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR(PT) dated 22.04.2019 and PFRDA vide e-mail dated 24.04.2019 had informed target for the F.Y. 2019-20 based on the number of branches of each bank	PSB		4214	60	252840	204306	80.80
	Private	HDFC, Axis, ICICI	849	60	50940	11266	22.12
		Other Private Banks	641	30	19230	3603	18.74
	RRB		1553	50	77650	87137	112.22
	Co-Op.		462	20	9240	5	0.05
	Small Finance Bank		288	50	14400	18	0.13
	State as a Whole		8007	270	424300	306335	72.20
	* Data received from PFRDA						

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी: राज्य में कुल 4,24,300 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक 3,06,335 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 72.20% रही है. निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति बहुत ही कम है । समस्त नियंत्रक निजी क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें

पिछले एक वर्ष से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक की उपलब्धि क्रमशः 5 एवं 18 है जो कि 0.05% एवं 0.19% उपलब्धि है एवं बेहद चिंतनीय है।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY के तहत दिनांक 16.05.2020 तक कुल 16,480 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 14,751 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। बीमा कंपनी के पास 328 क्लेम लंबित हैं, 86 क्लेम प्रक्रियाधीन हैं एवं 1315 क्लेम अस्वीकृत किए गए हैं। उक्त रिजेक्टेड क्लेम्स का विवरण एसएलबीसी द्वारा समस्त संबन्धित बैंको से साझा कर दिया गया हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : उक्त क्लेम्स की निगरानी के लिए बैंको में नियुक्त नोडल अधिकारी को क्लेम्स की गहन निगरानी रखने के लिए समस्त बैंको से अनुरोध है।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

Identification of one Digital District-

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। इस संबंध में एसएलबीसी राजस्थान की उप समिति-डिजिटल भुगतान की प्रगति की समीक्षा के लिए तीन बैठक आयोजित की जा चुकी है प्रथम/द्वितीय/तृतीय बैठक आयोजन दिनांक 18.10.2019/ 20.01.2020/11.06.2020 की जा चुकी है । करौली जिले में भी डीएलसीसी की उपसमिति बैठक दिनांक 14.11.2019 एवं 03.03.2020 को आयोजित की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार को राज्य स्तर पर डिजिटल नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। श्री प्रदीप कुमार वार्सन्य, सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को करौली जिला डिजिटल नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त नोडल अधिकारी जिले को 100% डिजिटल बनाने की प्रगति की निगरानी करेंगे।

प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार ने निम्न अधिकारियों को भी जिले को 100% डिजिटल बनाने हेतु की जा रही दैनिक गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु नियुक्त किया है:-

श्री रणवीर सिंह, उप निदेशक, DOIT&C, जयपुर (राज्य स्तरीय)
श्री विनोद कुमार मीना, एनालिस्ट कम उप निदेशक, करौली (जिला स्तरीय)

एसएलबीसी द्वारा प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि समस्त वित्तीय संस्थानों की मैपिंग बैंक खातों से की जावे जिससे डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जावे। साथ ही दिनांक 31.03.2019 से 31.03.2020 तक के निम्नलिखित लेन देन की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया:-

1. Government to Merchant (G2M)
2. Person to Government (P2G)
3. Government to Person (G2P)
4. Merchant to Government

उक्त सूचना राज्य सरकार के स्तर से अपेक्षित है।

संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: उनके कार्यालय द्वारा श्री प्रदीप कुमार वार्सन्य, सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को आवश्यक सूचना एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया है ।

(कार्यवाही : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार)

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : एसएलबीसी द्वारा उक्त की नियमित समीक्षा की जावे एवं उपसमिति की बैठक में भविष्य के लिए एक्शन पॉइंट निर्धारित किए जावें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : पूरे राज्य एवं विशेषतः करौली जिलें में संचालित सरकारी विभागों, विध्यालय, महा विध्यालय, अस्पतालों इत्यादि में नगद में हो रहे लेन-देन को डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है।

(कार्यवाही : सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार)

अग्रणी जिला प्रबन्धक, करौली को निर्देशित किया जाता है जिले की 100% डिजिटाईजेशन की प्रगति की समीक्षा डीएलसीसी की उपसमिति बैठक में मासिक रूप से करना सुनिश्चित करें एवं समस्त नियंत्रक सदस्य से अनुरोध है कि करौली जिले के नोडल अधिकारी मासिक रूप से 100% डिजिटाईजेशन की प्रगति की रिपोर्ट अग्रणी जिला प्रबन्धक, करौली को प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही : समस्त नियंत्रक सदस्य एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक, करौली)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति:

वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,71,643 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में मार्च, 2019 तिमाही तक राशि रू 1,45,481 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 84.76% उपलब्धि है. कृषि में 79.57%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 102.06% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 63.20% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष मार्च, 2020 तिमाही तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 91.05%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 83.34%, सहकारी बैंक ने 41.45% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 144.18% की उपलब्धि दर्ज की है।

वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (14.28%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (25.48%), आईडीबीआई बैंक (28.46%), पंजाब एंड सिंध बैंक (30.46%), इंडियन बैंक (38.78%), आरएससीबी (42.54%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (49.69%), यूनियन

बैंक ऑफ इंडिया (49.92%), यूको बैंक (54.27%), ईलाहबाद बैंक (68.70%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं आरएसएलडीबी द्वारा इस वर्ष वार्षिक साख योजना के लक्ष्य प्राप्ति करने का आश्वासन प्रदान किया। आरएससीबी द्वारा इस वर्ष फंड की समस्या दूर हो जाने से भी सूचित किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : वार्षिक साख योजना के तहत लक्ष्यों के सापेक्ष 84.76% उपलब्धि अपेक्षानुरूप नहीं बताया एवं समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि आगामी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु प्रयास करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

साथ ही वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। जैसे कि वार्षिक साख योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र को प्रदत्त लक्ष्य पीएम टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित पैरामीटर मिलान करना इत्यादि ।

राज्य के समस्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा डीएलआरसी/डीसीसी द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक साख योजना के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल लक्ष्य रु॰ 1,89,281 करोड़ निर्धारित किए है जो कि पिछले वर्ष की वार्षिक साख योजना लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि की तुलना में 30.11% की वृद्धि राखी गई है।

उपरोक्त लक्ष्यों में से कृषि क्षेत्र, एमएसएमई एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य क्रमशः राशि रु॰ 1,09,448 करोड़, 60,918 करोड़ एवं 18,915 करोड़ के रखे गए है जो कि पिछले वर्ष की उपलब्धि राशि के सापेक्ष कृषि क्षेत्र, एमएसएमई एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में क्रमशः 37.01%, 12.75% एवं 63.45% की वृद्धि है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : पिछले दो माह यथा अप्रैल व मई 2020 में COVID-19 महामारी के चलते वित्तपोषण का कार्य सामान्य रूप से नहीं हो पाया है एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए व दिनांक 05.06.2020 को आयोजित एसएलबीसी, राजस्थान की उपसमिति (कृषि योजनाओं से संबन्धित) बैठक में वार्षिक साख योजना के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत डीएलसीसी/डीएलआरसी अनुमोदन किया गया है अतः उक्त वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों अनुमोदित माना जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : एसएलबीसी एवं नाबार्ड सुनिश्चित करें कि लीड बैंक योजना के मास्टर परिपत्र के पैरा 3.1 एवं 3.2 में निहित निर्देशों के अनुसार बॉटम अप अप्रोच का अनुसरण करते हुए वार्षिक साख योजना के लक्ष्य निर्धारित करें।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक राज्य में 434 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 11,923 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2019-20 के 55,777 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 50,029 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 89.69% उपलब्धि है ।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : एनआरएलएम योजनांतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई एवं आरएमजीबी को कम प्रगति रहने के कारणों की समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई एवं आरएमजीबी)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 144वीं बैठक के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

एसबीआई द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 5230 एसएचजी के लक्ष्यों के विरुद्ध एसबीआई द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक 2286 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर ऋण वितरण कर दिया गया है। जो कि आवंटित लक्ष्य का 43.71% है ।

आरएमजीबी द्वारा सूचित किया गया कि बैंक को NRLM दवारा वितीय वर्ष 2019-20 हेतु 4450 SHG क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के विरुद्ध बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक 2609 का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि आवंटित लक्ष्य का 58.62% है ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : एसएलबीसी की विभिन्न बैठकों में चर्चा के दौरान एनआरएलएम योजनांतर्गत धीमी प्रगति के लिए मुख्यतः आरएमजीबी एसबीआई से अनुवर्तन की कार्यवाही की गई है एवं मिशन निदेशक, एलपी एवं एसएचजी, राजस्थान सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है लेकिन उक्त कार्यवाही के पश्चात भी दोनों बैंकों के राज्य में शाखाओं का आकार देखते हुए प्रगति स्वीकार्य नहीं है ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

साथ ही भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2020-21 के 67,470 एसएचजी के वित्त पोषित करने के लक्ष्य रखे गए है। समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि बैंकों को आवंटित एसएचजी के वित्त पोषित लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना बनाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

31 मार्च, 2020 तक समस्त सदस्य बैंकों द्वारा 3,45,593 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है तथा 82,672 एसएचजी को क्रेडिट लिंक किया गया है एवं राशि रू 742.29 करोड़ का ऋण बकाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी : कोविड-19 महामारी के दौर में बैंकों द्वारा एसएचजी को वित्तपोषित कर क्रेडिट फ़्लो बढ़ाया जा सकता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी: बैंकों में जिन एसएचजी के बचत खाते खुल चुके है एवं पंचसूत्र के नियमों का अनुपालना कर रहे है उनको वित्त पोषण के लिए कार्यवाही करे एवं राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर वित्त पोषण की कार्यवाही करावें ।

(कार्यवाही : राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त सदस्य बैंक)

दिनांक 31.03.2020 तक बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के बकाया बचत खाते (outstanding SB A/c) क्रमशः 81,797 SHG, 44,723 SHG एवं 97,205 SHG के खाते है एवं इसके सापेक्ष केवल 17,179 SHG, 4,792 SHG एवं 13,207 SHG को वित्तपोषित किया गया है जो कि एसएचजी के खोले गए बचत खातों की तुलना में वित्तपोषण बहुत ही कम है उक्त एसएचजी को पात्रतानुसार वित्तपोषित करने हेतु अनुरोध है ।

(कार्यवाही : बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एसएचजी एवं जेएलजी के लक्ष्य निम्नानुसार प्रदान किए हैं:- एसएचजी बचत खाते- 20,000 एसएचजी क्रेडिट लिंकेज- 50,000 एवं जेएलजी वित्तपोषण 2,95,000 के लक्ष्य रखे गए है उक्त लक्ष्य समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धकों से साझा कर दिए गए है एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा बैंक शाखाओं को लक्ष्य आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत दिनांक 18.02.2020 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है. जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक उपलब्धि क्रमशः 825, 50 एवं 346 रही है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार एवं समन्वित प्रयासों से योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करावें एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की टिप्पणी: दिनांक 21.01.2020 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं) के बैठक के दौरान चर्चा में पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के 10 माह समाप्ति पर भी पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है इस संबंध में बैंकों द्वारा अनुरोध किया गया कि योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को 25% किए जाएं।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें ।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

पीएमईजीपी योजनान्तर्गत राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 101.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक राशि रू 80.25 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 78.72% है ।

दिनांक 26.03.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR) -
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त योजनांतर्गत बैंक द्वारा प्रगति में सुधार करने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक को 700 आवेदनो में रु. 20.98 करोड़ मार्जिन मनी क्लेम का लक्ष्य दिया गया था। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 619 आवेदको को रु. 15.39 करोड़ मार्जिन मनी का ऋण स्वीकृत किया गया है । जो कि बैंक को दिये गए लक्ष्य का 73.35% है व 549 खातो मे मार्जिन मनी रु. 13.09 करोड़ का क्लेम किया गया जो कि दिये गए लक्ष्य का 62.41% है। वित्त वर्ष 2019-20 में 75 स्वीकृत आवेदनों में रु. 1.49 करोड़ का क्लेम पेंडिंग थे जिसे इस वित्तीय वर्ष में क्लेम करने हेतु सभी शाखाओ को निर्देशित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि आगामी वर्ष के आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : पीएमईजीपी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के मार्जिन मनी के लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ है एवं उक्त बैंकवार लक्ष्य समस्त बैंकों से एसएलबीसी द्वारा साझा कर दिए गए है एवं राज्य में विभिन्न बैंक शाखाओं में 1367 आवेदन पत्र वर्तमान में लंबित है ।

<u>Special Central Assistance Scheme SC/ST</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 17,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक मात्र 6342 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 37.31% उपलब्धि है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 37.61% उपलब्धि के लिए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त योजनांतर्गत प्रगति बढ़ाने के लिए अनुजा निगम, राजस्थान सरकार एवं बैंकों के समन्वित प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें ताकि कमजोर वर्ग (Weaker Section) को लाभान्वित किया जा सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा एससी पॉप योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 20,200 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के रखे गए है । विभाग अनुरोध है कि शाखावार लंबित आवेदन का विवरण संबंधित बैंकों को प्रस्तुत करें ताकि लंबित आवेदनों पत्रों में शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 9,854 करोड़ के लक्ष्य आवंटित किए गए जिसके सापेक्ष रु. 11,040 करोड़ के ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए। जो कि 112% की उपलब्धि है एवं स्माल फाइनेंस बैंक को लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए है उनकी उपलब्धि राशि रू 2,119 करोड़ है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में कुल 13,159 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उक्त योजनांतर्गत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित किए जाने है । समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुचित कार्ययोजना बनाएं ।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में मार्च 2020 तक 26,432 इकाइयों को राशि रू 339 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2020 तक 3221 इकाइयों को 41 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2020 तक केवल 11,213 इकाइयों को राशि रू 221 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

HUDCO से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में मार्च 2020 तक केवल 1188 इकाइयों को राशि रू 16.72 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

Rural Housing Interest Subsidy Scheme (RHISS)

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने पत्रांक NHB (ND) / RHISS / GS / OUT03369 / 2020 दिनांक 04.06.2020 से ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना (RHISS) चलाये जाने से सूचित किया है। उक्त योजना के अंतर्गत एनएचबी द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से 24*7 ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिससे Primary Lending Institutions द्वारा निर्बाध रूप से पात्र क्लेम दर्ज किए जा सकें।

MoRD, GoI ने NHB के साथ RHISS के कार्यान्वयन की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की जिसमें लक्ष्य निर्धारण और प्रगति की नियमित निगरानी के माध्यम से RHISS के तहत प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एसएलबीसी द्वारा पत्रांक SLBC/RZ/2020-21/212 दिनांक 12.06.2020 के माध्यम से सदस्य बैंकों को एनएचबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया:-

- शाखा नेटवर्क के माध्यम से फील्ड स्तर पर RHISS के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित किया जावे।
- RHISS के तहत त्रैमासिक सब्सिडी दावा अनुमानों की सूचना अनुलग्नक- 1 के अनुसार प्रेषित की जावे।
- राज्य में RHISS संवितरण को बढ़ाने की रणनीति के लिए इनपुट प्रस्तुत करना।

दिनांक 24.06.2020 तक RHISS योजनान्तर्गत कुल 7 क्लेम प्रस्तुत किए गए जिसमें से 6 क्लेम्स में राशि रु. 2,17,354 का वितरण किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : RHISS योजनान्तर्गत धीमी प्रगति स्वीकार्य नहीं एवं बैंकों एवं एनएचबी से अनुरोध है कि व्यापक प्रचार प्रसार करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को पात्रतानुसार समस्त आवेदकों को लाभान्वित करने की कार्यवाही हेतु समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है।

Change in definition of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

भारत सरकार ने 01 जून 2020 को जारी गजट अधिसूचना संख्या 1532 के मध्यम से एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए मानदंड को संशोधित किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

सूक्ष्म उद्यम - वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका टर्न ओवर पाँच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

लघु उद्यम - वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में दस करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका टर्न ओवर पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

मध्यम उद्यम - वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पचास करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका टर्न ओवर दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01.07.2020 से लागू होगी।

माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने 14 मई, 2020 को अपनी घोषणा के दौरान, COVID-19 महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए MSME क्षेत्र के लिए वित्तीय राहत पैकेज लॉन्च किया है, जो निम्नानुसार हैं:

Sr. No.	Particulars	Amount in crore	Guidelines received at SLBC Rajasthan
1.	Collateral free automatic loan for business- MSMEs	3 Lakh Cr.	Received
2.	Subordinate debt for MSMEs	20 Thousand Cr.	Still Awaited
3.	Equity infusion for MSMEs	50 Thousand Cr.	Still Awaited
4.	Interest subvention for 12 months to MUDRA- Shishu	1500 Cr.	Still Awaited
5.	Special scheme for street vendors	5 Thousand Cr.	Received

संयुक्त निदेशक, उद्योग, राजस्थान सरकार ने पत्रांक एफ.2()आ.उ.कोरोना एमएसएमई आर्थिक पैकेज/ 2020-21 दिनांक 02.06.2020 के माध्यम से सूचित किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

Main Features of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS)

- एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तिथि से 31.10.2020 तक अथवा रु. 3,00,000 करोड़ तक यह योजना गारंटीकृत आपातकालीन ऋण रेखा (जीईसीएल) के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।
- फंड और स्कीम का प्रबंधन और संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा किया जाएगा।

ECLGS (बुलेट अंक) के तहत पात्रता मानदंड

NCGTC द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा COVID-19 की महामारी से प्रभावित MSME इकाइयों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण (बैंकों और एफआई हेतु) और अतिरिक्त सावधि ऋण (एनबीएफसी हेतु) के लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जावेगा जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

- दिनांक 29.02.2020 तक बकाया ऋण 25 करोड़ है का 20% एवं वार्षिक टर्न ओवर वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.100 करोड़ तक है।
- व्यक्तिगत क्षमता में दिए गए ऋण योजना के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
- सभी उधारकर्ता जिन्हें 29 फरवरी, 2020 तक किसी भी MLI द्वारा SMA 2 या NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, योजना के लिए पात्र होंगे।
- व्यावसायिक उद्यमों / MSME उधारकर्ता को उन सभी मामलों में GST पंजीकृत होना चाहिए जहां ऐसा पंजीकरण अनिवार्य है।

दिनांक 20.06.2020 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार है:

Performance under Emergency Credit Line Gurantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 20.06.2020

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		Cumulative Sanction progress upto 20.06.2020		Cumulative Disbursement upto 20.06.2020	
		A/C	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT
1	Public Sector Bank	343973	34939	204077	24310	81097	2425	42155	1505
2	Private Sector Bank	220187	23013	37019	2674	2236	450	1824	353
3	Regional Rural Bank	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Cooperative Sector B	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Small Finance Bank	135775	7529	48977	3631	46	4	46	4
	Total	**699935**	**65481**	**290073**	**30615**	**83379**	**2879**	**44025**	**1862**

बैंकों द्वारा बोर्ड अनुमोदित आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना (ECL) के तहत ऋण प्रदान किए जा रहे है। इस संबंध में राजस्थान में दिनांक 20.06.2020 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना (ECL) के तहत एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार है:

Details of Loan sanctioned under Emergency Credit Line (ECL) to MSMEs under COVID-19 Pandemic from 01.04.2020 to 20.06.2020									
								(Amt. In Cr)	
Sr. No.	Banks	Agriculture		MSMEs		Other Loans		Total Loans (Agriculture, MSMEs and Others)	
		A/c	Amount	A/c	Amount	A/c	Amount	A/c	Amount
A	Public Sector Bank	321166	1072	53009	1336	17786	227	391961	2634
B	Private Sector Banks	24663	158	2429	523	107	9	27199	690
C	Regional Rural Bank	15453	164	1545	20	450	5	17448	188
D	Cooperative Sector Bank	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Small Finance Bank	0	0	0	0	5	0	5	0
	Grand Total	361282	1394	56983	1878	18348	240	436613	3513

Page 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जा रही है एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत 15 जुलाई, 2020 तक समस्त पात्र इकाइयों का ऋण स्वीकृत करें एवं 60% तक ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें ।

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

संयुक्त सचिव, शहरी विकास और स्थानीय स्व शासन विभाग, भारत सरकार ने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या K-12017 (30)/2020-UPA-II दिनांक 10.06.2020 के माध्यम से सूचित किया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 14.05.2020 को की गई घोषणा के अनुसरण में आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि- PM SVANidhi) योजना का शुभारंभ किया है। COVID-19 महामारी के संक्रमण के रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण जिन स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उनको व्यावसायिक गतिविधियों को दुबारा सुचारू रूप से चालू करने के लिए उन्हे सस्ता ऋण मुहैया कराने हेतु पीएम स्वनिधि- PM SVANidhi एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है।

स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक बनाने और उनके आर्थिक विकास के लिए नए अवसरों को खोलने में मदद करने के लिए 01 जून, 2020 को योजना शुरू की गई है। यह एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसे बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जिसके उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- सड़क विक्रेता (street vendor) को 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए।
- नियमित रूप से पुनर्भुगतान पर ब्याज अनुदान
- डिजिटल लेनदेन पर कैश बैक इत्यादि

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : स्वायत्त शासन विभाग से अनुरोध है कि जिलें में स्थापित स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित करें कि स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि- PM SVANidhi के

तहत वित्त पोषित करने के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों व बैंकों से समन्वय स्थापित करें / एसएलबीसी द्वारा योजना की जानकारी बैंकों को पूर्व में ही अवगत करवा दिया गया है ।

Dashboard to monitor the saturation under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण उपलब्ध करवाने हेतु अभियान चलाया गया है एवं एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है जिसमें निम्न प्रगति अद्यतित की जावेगी:-

- फ़सल हेतु प्रदत्त केसीसी ऋण
- पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु प्रदत्त केसीसी ऋण
- मौजूदा केसीसी धारकों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु प्रदत्त केसीसी ऋण

इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा समस्त जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए है एवं समस्त किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया गया है जिससे किसानों को संस्थागत ऋण की तह में लाया जा सके.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त अभियान के तहत बैंकों द्वारा mission mode में कार्य कर 100% संतृप्ति स्तर को प्राप्त किया जावे. एसएलबीसी द्वारा इस हेतु जिलेवार केसीसी प्रदान करने के लक्ष्य प्रदान किए गए। राज्य को प्रदत्त कुल 2139400 किसानों के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 20.06.2020 तक 1216646 किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया जा चुका है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त अभियान के तहत हुई प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें जिससे उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को संबोधित पत्रांक 1-20/2018- credit.I (Part) दिनांक 06.02.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि सभी पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी प्रदान करने हेतु अभियान चलाया गया है जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर समस्त पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी ऋण उपलब्ध करवाया जावेगा।

इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा पत्रांक JZ/SLBC/2019-20/1880 dated 07.02.2020 द्वारा समस्त बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को इस बाबत निर्देशित किया गया है। दिनांक 15.06.2020 तक पीएम किसान के लाभार्थियों को राज्य में कुल 5,22,094 केसीसी ऋण आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 3,65,670 लोगों को केसीसी ऋण स्वीकृत किए गए।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है कि पूरे देश में 2.50 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया जावेगा जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर रु. 2.00 लाख करोड़ का ऋण farm sector को प्रदान किया जावेगा।

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्रांक 3/12/2020-AC दिनांक 29.05.2020 के माध्यम से समस्त सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि समस्त PM-Kisan योजना के लाभार्थियों को केसीसी ऋण प्रदान किया जाना है। साथ ही बताया कि 1.50 करोड़ कृषक पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, को नई केसीसी ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 01.06.2020 से विशेष अभियान चलाया है।

उक्त विशेष अभियान के तहत बैंकों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जावेंगे:

- समस्त PM-Kisan योजना के लाभार्थियों को केसीसी ऋण प्रदान किया जाना- किसानों को नया केसीसी ऋण अथवा लिमिट बढ़ाकर लाभान्वित किया जावेगा
- डेयरी किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया जाना- पात्र डेयरी किसानों को नया केसीसी ऋण, लिमिट बढ़ाना अथवा इन-ऑपरेटिव केसीसी ऋण खातों को active कर लाभान्वित किया जावेगा

किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनका ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में नामांकन किया जाना है।

इस संबंध में समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त विशेष अभियान हेतु प्रत्येक बैंक द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: उक्त अभियान के तहत प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं है एवं धीमी प्रगति का मुख्य कारण भूमि रिकार्ड के डिजिटाइजेशन के चलते बैंकों के पक्ष में भूमि रहन दर्ज करवाने में परेशानी आ रही है। राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकार्ड के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जावे **(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)।**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : उक्त अभियान के तहत हुई प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक को प्रेषित करने एवं पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर दैनिक रूप से प्रगति अद्यतन करने हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करें। ताकि उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

Scale of Finance for FY 2020-21

समस्त जिलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स DLTC की बैठक में निर्धारित कर लिया गया है। कुछ जिलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स पिछले वर्ष (FY 2019-20) से भी काफी कम राशि निर्धारित गई जिसमें मुख्य जिलें बारां, भरतपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, नागौर, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर इत्यादि है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स कम करने पर किसानों के समक्ष ऋण राशि जमा करवाने का संकट पैदा हो जावेगा जो कि वर्तमान हालात में किसानों की वित्तीय स्थिति को और तंग कर देगा एवं केसीसी योजना से जुडने वाले कृषकों को पर्याप्त ऋण नहीं मिलने पर जनआंदोलन होने की आशंका भी है ।

जिला जालौर में नई केसीसी योजना के तहत पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए स्केल ऑफ फाइनेन्स का निर्धारण नहीं किया गया है ।

अतः जिन जिलों में स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स पिछले वर्ष से कम किया गया है उसकी समीक्षा पुनः करने हेतु समस्त डीएलटीसी को एवं नई केसीसी योजना के तहत पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए स्केल ऑफ फाइनेन्स का निर्धारण करने के लिए डीएलटीसी, जालौर को निर्देशित करने हेतु नाबार्ड एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से अनुरोध है।

(कार्यवाही : नाबार्ड एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

पीएमएफ़बीवाई पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रबी 2019-20 के तहत 39.33 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं. जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 41.73 लाख हेक्टेयर, कुल बीमित राशि रु 18596.81 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 350.34 करोड़ है।

पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2019 के अंतर्गत दिनाँक 31.10.2019 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Loanee Application Count	- 43.73 Lacs
Total Sum Insured	- 15733.06 Crs.
Total Area Insured	- 54.15 Lacs Hect.
Total Farmer Share	- 358.61 Crs.

पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2019 के अंतर्गत दिनाँक 03.06.2020 तक केंद्रीय पोर्टल पर अद्यतित कृषक आंकड़ों की प्रगति निम्नानुसार है:-

Loanee Application Count	-	45.30 Lacs
Total Sum Insured	-	16415.20 Crs.
Total Area Insured	-	56.20 Lacs Hect.
Total Farmer Share	-	375.72 Crs.

उन्होने पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर डेटा अपलोडिंग से संबन्धित मुद्दे एवं अन्य मुद्दों से सदन को निम्नानुसार अवगत करवाया:-

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 27.12.2019 तक फसल बीमा पोर्टल खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का डेटा अपलोड करने हेतु खोला गया। तत्पश्चात दिनांक 16.05.2020 से 26.05.2020 तक पुनः फसल बीमा पोर्टल खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का डेटा अपलोड करने हेतु खोला गया। बैंकों द्वारा निम्न कारणों से पोर्टल पर डेटा अपलोड नहीं किए जाने से सूचित किया गया:-

1. **आधार कार्ड का सही मिलान नहीं होना**
2. **कुछ गांवों का नाम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होना (तहसील के नाम में गड़बड़ी)**

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: एसएलबीसी से अनुरोध किया कि unmapped गांवों की सूचना उनके विभाग को उपलब्ध करवाएँ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : समस्त बैंकों से अनुरोध है कि उक्त कारणों से पोर्टल पर अपलोड होने से रह गया डेटा एसएलबीसी को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

दिनांक 05.06.2020 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने टाटा एआईजी को निर्देशित किया कि खरीफ 2018 के तहत रिफ़ंड किए गए प्रीमियम में से जिन पॉलिसी का डेटा गाँव/ तहसील मिसमेच के कारण रिजेक्ट हुआ है, वह डेटा स्वीकार किया जावे।

आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: टाटा एआईजी द्वारा जो पॉलिसी गलत मैपिंग बताकर अस्वीकार कर दी गयी है, के प्रकरणों में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर पुनः बीमा प्रीमियम स्वीकार करवा कर बीमा क्लेम दिलवाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उन्होने बताया कि पीएमएफ़बीवाई के निर्देशानुसार क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से करवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु समस्त फसल बीमा कंपनियों को निर्देशित किया।

(कार्यवाही : समस्त फसल बीमा कंपनियाँ)

Revamp of "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" and "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)" from Kharif 2020.

भारत सरकार द्वारा खरीफ-2020 से Revamped प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं RWBCIS (Revamped Weather Based Crop Insurance Scheme) चलायी है।

उक्त योजनांतर्गत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:-

- उक्त दोनों योजनाओं के लिए स्वैच्छिक नामांकन की सुविधा
- ऋणी किसानों को योजना से बाहर निकालने (opt out) एवं वापस जुडने (Opt in) का प्रावधान
- ऋणी किसानों को योजना से बाहर निकालने (opt out) एवं वापस जुडने (Opt in) के लिए जिस शाखा में केसीसी खाता है वहाँ उक्त घोषणा पत्र देना होगा ।
- उक्त घोषणा पत्र वर्ष के किसी भी कार्य-दिवस पर जमा किया जा सकता है लेकिन किसी भी मौसम के लिए नामांकन कट ऑफ तारीख से न्यूनतम 7 दिवस पहले।
- जिन किसानों द्वारा उक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है उन सभी को बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से कवर किया जावेगा।
- बैंकों द्वारा किसानों द्वारा दिये गए घोषणा पत्रों का उचित रिकॉर्ड रखा जावे।
- जो किसान नया केसीसी ऋण लेने अथवा नवीनीकरण के लिए बैंक में संपर्क करते है उन्हे उक्त योजना में शामिल होने हेतु बैंक शाखा द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए।

बैंकों की मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:-

- किसानों का नामांकन (ऋण और गैर-ऋण)
- पीएमएफबीवाई से ऑप्ट आउट
- स्थानीयकृत जोखिम रिपोर्टिंग
- किसान को पीएमएफ़बीवाई योजना के बारे में शिक्षित करना

बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन साल के लिए किया जाना है (दोनों योजनाओं के लिए PMFBY / RWBCIS)।

भारत सरकार द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ सीजन 2020 से पुनर्नवीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Revamp PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए बैंक शाखाओं, प्राथमिकता क्षेत्र प्रभारी और बीमा कंपनियों के लिए ऑन-लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 11 बैचों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: फसल बीमा योजना को किसानों के लिए ऐच्छिक (optional) किया गया है। इस हेतु प्रचार कर किसानों तक उक्त जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : समस्त सदस्य बैंकों से अनुरोध है कि पीएमएफ़बीवाई & आरडबल्यूबीआईएस खरीफ 2020 के दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाने है अतः शाखाओं को निर्देश प्रदान करें कि पात्र कृषकों को कवरेज करने की कार्यवाही करें ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 के कारण विस्तारित अवधि हेतु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित कृषि के लिए अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) समय में बढ़ोतरी की है

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/ 05.02.001/2019-20 दिनांक 21 अप्रैल 2020 के द्वारा बैंकों को 31 मई 2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि या चुकौती की तिथि, जो भी पहले हो, तक किसानों को 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा को जारी रखे जाने से संबंधित सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।

कोविड-19 के कारण निरंतर व्यवधान और लॉकडाउन में विस्तार को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक केपरिपत्र क्रमांक आरबीआई/2019-20/250 विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.25/ 05.02.001/2019-20 दिनांक 04 जून, 2020 के द्वारा रिज़र्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों को अधिस्थगन की अवधि को पुनः तीन महीने अर्थात 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्तारित अधिस्थगन अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज न देना पड़े, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों को 31 अगस्त 2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि या चुकौती की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा मिलती रहेगी। यह लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) हेतु प्रति किसान रु.3 लाख तक (एएचडीएफ किसानों के लिए रु.2 लाख तक) सभी अल्पावधि ऋणों पर लागू होगा। अतः समस्त बैंकों से अनुरोध है कि समस्त पात्र कृषकों को उक्त ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention) से लाभान्वित करें ।

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में मार्च तिमाही तक राज्य में 17,912 छात्रों को राशि रू 540.12 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 47,540 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,979.84 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 11,683 खातों में रु 380.53 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: समस्त पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जावे एवं लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : नए शैक्षिक सत्र शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है अतः समस्त बैंकों से अनुरोध है कि पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु शाखाओं को निर्देशित करें ।

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 8 जिलों में,	71%-100% 13 जिलों में,
61%-70% 4 जिलों में,	51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

राज्य में दिनांक 31.12.2019 तक 60% से कम साख जमा अनुपात वाले बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक, है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक का साख जमा अनुपात मार्च 2020 में 60% से कम है। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने पत्र दिनांक 24.06.2020 के माध्यम से सूचित किया कि उनके बैंक की दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में विशेष शाखाएँ हैं जो कि राजस्थान में स्थित उद्योगों को भी वित्तपोषित कर रही हैं। उक्त शाखाओं द्वारा राज्य में प्रदत्त ऋण एसएलबीसी पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए डेटा में शामिल नहीं है। अतः कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रेषित संशोधित आंकडों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का साख जमा अनुपात 61.28% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: जिन जिलों का साख जमा अनुपात 40 % से 60 % के मध्य है उन जिलों में बैंकों को साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनानी चाहिए ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध है कि आगामी तिमाही में वित्त पोषित जिलों में उपरोक्त अग्रिम की राशि एसएलबीसी पोर्टल पर अद्यतित करने का श्रम करें ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

अग्रणी जिला प्रबन्धक अजमेर, धौलपुर, करौली, झुंझुनु, राजसमंद, डुंगरपुर, सिरोही एवं उदयपुर जिले से अनुरोध है कि उनके जिलें में जिन बैंकों का साख-जमा अनुपात 60% से कम है उनकी नियमित समीक्षा डीएलआरसी/डीएलसीसी में करना सुनिश्चित करें एवं राज्य स्तर पर जिन बैंकों का साख जमा अनुपात 60% से कम है उन बैंकों को आगामी वित्तीय वर्ष में साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कार्ययोजना क्रियान्वित करें ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक अजमेर, धौलपुर, करौली, झुंझुनु, राजसमंद, डुंगरपुर, सिरोही एवं उदयपुर जिले)

NPA Position

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मार्च, 2020 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,60,214 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 16,649 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.62% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 9.22%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 4.14%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.45% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 6.30% है.

मार्च 2019 में कुल एनपीए 3.63% था जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 4.62% हो गया है. मार्च 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 6.93% था जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 9.22% हो गया है. मार्च 2019 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 2.91 % था जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 4.14 % हो गया है तथा मार्च 2019 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 4.73 % था जो कि मार्च 2020 में बढ़कर 6.30 % हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: बैंकों का एनपीए स्तर बढ़ा है जो कि बैंकों के लिए चिंता का विषय है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि एनपीए स्तर को कम करने के लिए योजना बनाए एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रदत्त ऋणों एवं अन्य बैंक ऋणों की वसूली में बैंकों की शाखाओं को सहायता प्रदान करें ।

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 तक कुल 661 प्रकरण राशि रू 225 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 565 मामले राशि रू 207 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,58,949 प्रकरण राशि रु 3,382 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 111,625 प्रकरण राशि रु 2,090 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए बढ़ते हुए लंबित प्रकरणों पर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार के स्तर से राजस्व विभाग के अधिकारियों को सरफेसी एक्ट, 2002, एवं राको रोड़ा के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण हेतु त्रैमासिक लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की टिप्पणी : सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित करने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि जिला कलेक्टर की डीएलआरसी/डीएलसीसी बैठकों में सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार एवं समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

एजेंडा क्रमांक- 8

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 31.03.2020 तक कुल व्यवस्थापन दर 70.78% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. शेष 5 आरसेटी के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है।

R-SETI Building Construction

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी. दिनांक 26.03.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी बैठक में बताया गया कि उक्त भूमि पब्लिक पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित है अतः वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-

1. 8 वर्ष तक रु 187821/- प्रति वर्ष अथवा
2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 15,02,568/-

भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): सिरोही में गत 6 वर्षों से बैंक की भूमि पर आरसेटी कार्यरत थी जिसमें से 2 बीघा 8 बिसवा भूमि आरसेटी को निःशुल्क आवंटित की गयी थी. जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि रु. 8,59,320/- सरकार को जमा कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया गया. उक्त राशि की माफी हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया लेकिन जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पुनः उक्त राशि मय ब्याज 7 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया. एसएलबीसी एवं एसबीआई द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया.

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी: उक्त भूमि आवंटन के मुद्दों के लंबे समय से लंबित रहने के कारण यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापस ले ली जाती है तो उक्त प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से मार्च 2020 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 484 एवं पार्ट बी के लिए 1244 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: कोविड-19 महामारी के दौर में वित्तीय साक्षरता केंद्रों को वैकल्पिक तरीकों के साथ कार्य करना चाहिए। बैंकों से सुझाव लेकर वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

(कार्यवाही : समस्त वित्तीय साक्षरता केंद्र)

एजेंडा क्रमांक- 9

दिनांक 26.03.2020 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: उनके कार्यालय द्वारा यूओ नोट संख्या अशाटीप. सं. प25(1) आयो/सं.वि./2019 दिनांक 03.01.2020 के माध्यम से उक्त प्रकरण को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा संयुक्त बैठक करने हेतु अनुरोध किया है लेकिन अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है।

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

दिनांक 26.03.2020 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

वर्तमान स्थिति - एसएलबीसी से स्तर से प्रत्येक बैठक सूचना के माध्यम से सक्षम अधिकारियों के सहभागिता के लिए अनुरोध किया जा रहा एवं समस्त हितधारको ने अनुपलानार्थ नोट किए जाने से सूचित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी: समस्त हितधारकों यथा केंद्र व राज्य सरकार एवं बैंकों इत्यादि के सक्षम अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि बैठक में सारगर्भित चर्चा की जा सकें एवं निर्णय लिया जा सकें ।

दिनांक 26.03.2020 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)
बैंकों अथवा बैंक ग्राहकों के साथ धोखा धड़ी के प्रकरणों में वित्तीय हानि होने की दशा में भी बैंक शाखाओं को स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अथवा पुलिस द्वारा शिकायतें दर्ज नहीं की जाती है । अतः राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि समस्त पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी करें कि बैंकों अथवा बैंक ग्राहकों के साथ होने वाली धोखा धड़ी के प्रकरणों में शिकायत दर्ज करे एवं अनावश्यक हतोत्साहित नहीं करें।

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की टिप्पणी: उनके कार्यालय द्वारा गृह विभाग, राजस्थान सरकार को पत्र लिख कर इस संबंध में कार्यवाही हेतु अनुरोध किया है । अग्रणी जिला प्रबन्धक अपने जिले के जिला कलेक्टर अथवा स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

दिनांक 26.03.2020 को आयोजित राज्य बैंकर्स समिति के कार्यवाही बिन्दु (ATR)

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्तमान में एसएलबीसी वेबसाइट पर त्रैमास की समाप्ति के 15 दिवस के अंदर बैक से संबन्धित आंकड़े अद्यतन करना सुनिश्चित करने हेतु समस्त सदस्य बैंकों को निर्देशित किया।

वर्तमान स्थिति - समस्त बैंकों द्वारा अनुपालनार्थ हेतु नोट किए जाने से सूचित किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित एसएलबीसी संयोजक बैंकों एवं नाबार्ड के कार्य समूह द्वारा एसएलबीसी द्वारा मौजूदा डेटा के प्रकार एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु उपयोग में लाये जा रहे प्रारूपों का अध्ययन कर डेटामॉडल को एकरूप करने के लिए पूरे भारत वर्ष में डेटा प्रवाह की एक ही मानकीकृत प्रणाली अपनाने के लिए विस्तृत चर्चा कर डेटामॉडल सुझाया है जिसे एसएलबीसी द्वारा डेटा संग्रहण एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु adopt किया गया है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त डेटा प्रवाह प्रणाली को वर्ष 2020-21 में लागू किया जावे।

साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध किया कि कृषि पर आईडबल्यूजी (श्री एम. के. जैन) द्वारा की गयी अनुशंसाओं को लागू किया जावे तथा भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में की गई करवाही से अवगत करावे।

बैठक के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की टिप्पणी: किसी भी बैंक ने एसएलबीसी पोर्टल में डेटा अपलोड करने के लिए RBI द्वारा सुझाए गए प्रारूपों पर डेटा प्रवाह की नई मानकीकृत प्रणाली को विकसित और माइग्रेट नहीं किया है। सभी सदस्य बैंकों को आवश्यक रूप से सीबीएस प्रणाली से डेटा प्रवाह

सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित कॉर्पोरेट कार्यालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देशित किया ताकि तिमाही के समापन से 15 दिनों के भीतर एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी: एसएलबीसी राज्य सरकार के साथ समन्वय कर प्राकृतिक आपदा संबंधी नोटिफिकेशन भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक विसविवि (जय) सं. 395/02.02.037/ 2019-20 दिनांक 08.05.2020 के अनुसार RBI के NC पोर्टल पर जल्द से जल्द अपलोड करवाया जावे।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की टिप्पणी : रबी 2019 (सम्वत 2075), खरीफ 2019 (सम्वत 2076) व रबी 2019 (सम्वत 2076) के दौरान राज्य में घोषित अभावग्रस्त, गम्भीर व मध्यम सूखाग्रस्त एवं कीट आक्रमण (टिड्डी) प्रभावित गांवों की सूची कुल 15279 गांवों की जिलेवार/ तहसीलवार सूचीमय Census Code के साथ सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है लेकिन सूचना आज दिनांक तक अपेक्षित है ।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की टिप्पणी : राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 145वीं बैठक के कार्यबिन्दु समस्त हितग्राहियों को कार्यसूची बिन्दु प्रसारित कर (Agenda by Circulation) बैठक का आयोजन किया गया एवं एसएलबीसी के हितधारकों से दिनांक 09.07.2020 तक प्राप्त समस्त टिप्पणीयों को कार्यवृत में सम्मिलित किया गया है । समस्त हितग्राहियों यथा केंद्र व राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सभी बैंकर्स का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक दिनांक 29 जून, 2020 को सम्पन्न होने की घोषणा करते है।

****